

राधिका स0-7/बजट-46-12/2021 - 568 (7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक- 21/03/2025

विषय:- राजकोषीय माध्यम से NHM अन्तर्गत Vaccine supplies made to State Government under Routine Immunization Programme (Reproductive and Child Health) under NHM मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद के विमुक्त राशि रु0 3,26,96,85,773/- (रुपये तीन अरब छब्बीस करोड़ छियानवे लाख पचासी हजार सात सौ तिहत्तर) के विरुद्ध राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु0 2,17,97,90,516/- (रुपये दो अरब सतरह करोड़ संतावने लाख नब्बे हजार पाँच सौ सोलह) मात्र अर्थात् कुल रु0 5,44,94,76,289/- (रुपये पाँच अरब चौवालीस करोड़ चौरानवे लाख छिहत्तर हजार दौ सौ नवासी) मात्र में से वर्तमान में राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु0 2,17,97,90,516/- (रुपये दो अरब सतरह करोड़ संतावने लाख नब्बे हजार पाँच सौ सोलह) मात्र का Kind Grants under NHM मद में राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध मे राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्राक-6934 दिनांक-05 03 2025 एव पत्रांक-7068 दिनांक-12.03 2025 द्वारा भारत सरकार से निर्गत आवटनादेश के आलोक मे NHM अन्तर्गत Vaccine supplies made to State Government under Routine Immunization Programme (Reproductive and Child Health) under NHM मद मे क्रमशः केन्द्रांश मद की राशि रु0 2,37,89,62,420/- (रुपये दो अरब सैंतीस करोड नवासी लाख बासठ हजार चार सौ बीस) मात्र तथा रु0 89,07,23,353/- (रुपये नवासी करोड सात लाख तेइस हजार तीन सौ तिरपन) मात्र अर्थात् कुल रु0 3,26,96,85,773/- (रुपये तीन अरब छब्बीस करोड़ छियानवे लाख पचासी हजार सात सौ तिहत्तर) मात्र के विरुद्ध समानुपातिक राज्यांश मद में क्रमश रु0 1,58,59,74,947/- (रुपये एक अरब अंठावन करोड उन्सठ लाख चौहत्तर हजार नौ सौ सैतालीस) मात्र तथा रु0 59,38,15,569/- (रुपये उन्सठ करोड अडतीस लाख पन्द्रह हजार पाँच सौ उनहत्तर) मात्र अर्थात् कुल राशि रु0 2,17,97,90,516/- (रुपये दो अरब सतरह करोड़ संतावने लाख नब्बे हजार पाँच सौ सोलह) मात्र अर्थात् कुल केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की राशि कुल रु0 5,44,94,76,289/- (रुपये पाँच अरब चौवालीस करोड़ चौरानवे लाख छिहत्तर हजार दौ सौ नवासी) मात्र मे से वर्तमान मे राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु0 2,17,97,90,516/- (रुपये दो अरब सतरह करोड़ संतावने लाख नब्बे हजार पाँच सौ सोलह) मात्र की Kind Grants under NHM मद मे मांग की गई है।

✓

उक्त परिप्रेक्ष्य में पत्राक-6934 दिनांक-05.03.2025 एवं पत्राक-7068 दिनांक-12.03.2025 द्वारा भारत सरकार से निर्गत आवंटनादेश के आलोक में NHM अन्तर्गत Vaccine supplies made to State Government under Routine Immunization Programme (Reproductive and Child Health) under NHM मद में क्रमशः केन्द्रांश मद की राशि रु0 2,37,89,62,420/- (रुपये दो अरब सैंतीस करोड़ नवासी लाख बासठ हजार चार सौ बीस) मात्र तथा रु0 89,07,23,353/- (रुपये नवासी करोड़ सात लाख तेइस हजार तीन सौ तिरपन) मात्र अर्थात् कुल रु0 3,26,96,85,773/- (रुपये तीन अरब छब्बीस करोड़ छियानवे लाख पचासी हजार सात सौ तिहत्तर) मात्र के विरुद्ध समानुपातिक राज्यांश मद में क्रमशः रु0 1,58,59,74,947/- (रुपये एक अरब अठावन करोड़ उन्सठ लाख चौहत्तर हजार नौ सौ सैंतालीस) मात्र तथा रु0 59,38,15,569/- (रुपये उन्सठ करोड़ अडतीस लाख पन्द्रह हजार पाँच सौ उनहत्तर) मात्र अर्थात् कुल राशि रु0 2,17,97,90,516/- (रुपये दो अरब सत्तरह करोड़ संतावने लाख नब्बे हजार पाँच सौ सोलह) मात्र अर्थात् कुल केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की राशि कुल रु0 5,44,94,76,289/- (रुपये पाँच अरब चौवालीस करोड़ चौरानवे लाख छिहत्तर हजार दौ सौ नवासी) मात्र में से वर्तमान में राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु0 2,17,97,90,516/- (रुपये दो अरब सत्तरह करोड़ संतावने लाख नब्बे हजार पाँच सौ सोलह) मात्र की Kind Grants under NHM मद में राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित्त स्वीकृति दी जाती है।

2- राज्य स्वास्थ्य समिति के उक्त पत्र के प्रसंग में भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से आवंटनादेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्नवत् है :-

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR					
Details of Fund received from Govt. of India (2024-25)					
Si. No.	Vaccine Supplies made to state Governments under Routine Immunization Programme (Reproductive and Child Health) under NHM during 2024-25.	Date	Amount (Central Shares-60%)	Amount State Shares-40%	Total
1	T-13020/01/2022-IMM(057)	01.10.24	30,44,000	20,29,333	50,73,333
2	T-13020/01/2022-IMM(055)	01.10.24	3,78,30,000	2,52,20,000	6,30,50,000
3	T-13020/01/2022-IMM(056)	01.10.24	19,69,02,000	13,12,68,000	32,81,70,000
4	T-13020/01/2022-IMM(048)	03.09.24	28,30,000	18,86,667	47,16,667
5	T-13020/01/2022-IMM(047)	03.09.24	3,51,70,000	2,34,46,667	5,86,16,667
6	T-13020/01/2022-IMM(046)	03.09.24	18,30,58,000	12,20,38,667	30,50,96,667
7	T-13020/01/2022-IMM(039)	05.07.24	58,08,000	38,72,000	96,80,000
8	T-13020/01/2022-IMM(038)	05.07.24	7,21,93,000	4,81,28,667	12,03,21,667
9	T-13020/01/2022-IMM(037)	05.07.24	37,57,55,000	25,05,03,333	62,62,58,333
10	T-13020/01/2022-IMM(030)	18.06.24	52,29,000	34,86,000	87,15,000
11	T-13020/01/2022-IMM(029)	18.06.24	6,49,92,000	4,33,28,000	10,83,20,000
12	T-13020/01/2022-IMM(028)	18.06.24	33,82,74,000	22,55,16,000	56,37,90,000
13	No 4-12/2024-25/NCVBDC/Budget/QAS	21.10.24	5,74,55,269	3,83,03,513	9,57,58,782
14	No 4-12/2024-25/NCVBDC/Budget/QAS	21.10.24	1,10,46,954	73,64,636	1,84,11,590
15	No 4-12/2024-25/NCVBDC/Budget/QAS	21.10.24	8,88,197	5,92,131	14,80,328
16	No Z 28015/347/2018-TB	01.07.24	47,91,000	31,94,000	79,85,000

17	No Z 28015/347/2018-TB	01 07 24	92,47,000	61,64,667	1,54,11,667
18	No Z 28015/347/2018-TB	01 07 24	4,16,69,000	2,77,79,333	6,94,48,333
19	No.Z 28015/347/2018-TB	01 07 24	3,36,00,000	2,24,00,000	5,60,00,000
20	T-13020/01/2022-IMM-Part-(1)(087)	02 12 24	47,75,000	31,83,333	79,58,333
21	T-13020/01/2022-IMM-Part-(1)(086)	02 12 24	5,93,55,000	3,95,70,000	9,89,25,000
22	T-13020/01/2022-IMM-Part-(1)(085)	02 12 24	30,89,36,000	20,59,57,333	51,48,93,333
23	Y-11030/01/2013-CC&V(Pt.II)-Part(1)-012	14 05 24	1,14,000	76,000	1,90,000
24	Y-11030/01/2013-CC&V(Pt.II)-Part(1)-011	14 05 24	14,20,000	9,46,667	23,66,667
25	Y-11030/01/2013-CC&V(Pt.II)-Part(1)-010	14 05 24	73,93,000	49,28,667	1,23,21,667
26	T-13020/01/2022-IMM(003)	14 05 24	66,20,000	44,13,333	1,10,33,333
27	T-13020/01/2022-IMM(002)	14 05 24	8,22,84,000	5,48,56,000	13,71,40,000
28	T-13020/01/2022-IMM(001)	14 05 24	42,82,83,000	28,55,22,000	71,38,05,000
	Total		2,37,89,62,420	1,58,59,74,947	3,96,49,37,367

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR					
Details of Fund received from Govt. of India (2024-25)					
Si. No.	Vaccine Supplies made to state Governments under Routine Immunization Programme (Reproductive and Child Health) under NHM during 2024-25.	Date	Amount (Central Shares-60%)	Amount State Shares-40%)	Total
1	T-13020/01/2022-IMM(068)	07 10 24	21,85,76,000	14,57,17,333	36,42,93,333
2	T-13020/01/2022-IMM(069)	07 10 24	4,19,94,000	2,79,96,000	6,99,90,000
3	T-13020/01/2022-IMM(070)	07 10 24	33,79,000	22,52,667	56,31,667
4	Y-11030/03/2019-IMM(064)	10 10 24	1,88,12,000	1,25,41,333	3,13,53,333
5	Y-11030/03/2013-CC&V(Pt.II)-Part(1)-076	29 10 24	58,32,000	38,88,000	97,20,000
6	Y-11030/03/2013-CC&V(Pt.II)-Part(1)-077	29 10 24	11,20,000	7,46,667	18,66,667
7	Y-11030/03/2013-CC&V(Pt.II)-Part(1)-078	29 10 24	90,000	60,000	1,50,000
8	T-13020/01/2022-IMM(093)	30 12 24	20,26,08,000	13,50,72,000	33,76,80,000
9	T-13020/01/2022-IMM(094)	30 12 24	3,89,27,000	2,59,51,333	6,48,78,333
10	T-13020/01/2022-IMM(095)	30 12 24	31,32,000	20,88,000	52,20,000
11	T-13020/01/2022-IMM-Part(1)(101)	14 01 25	13,51,41,000	9,00,94,000	22,52,35,000
12	T-13020/01/2022-IMM-Part(1)(102)	14 01 25	2,59,64,000	1,73,09,333	4,32,73,333
13	T-13020/01/2022-IMM-Part(1)(103)	14 01 25	20,89,000	13,92,667	34,81,667
14	T-13020/04/2022-IMM-Part(1)(109)	14 01 25	15,33,92,000	10,22,61,333	25,56,53,333
15	T-13020/04/2022-IMM-Part(1)(110)	14 01 25	2,94,71,000	1,96,47,333	4,91,18,333
16	T-13020/04/2022-IMM-Part(1)(111)	14 01 25	23,71,000	15,80,667	39,51,667
17	No 4-12/2024-25/NVBDC/Budget/QAS	14 02 25	88,773	59,182	1,47,955
18	No.4-14/2020-21/NVBDC/Budget/QAS	14 02 25	6,79,430	4,52,953	11,32,383
19	No 4-12/2024-25/NVBDC/Budget/QAS	14 02 25	70,57,150	47,04,767	1,17,61,917
	Total		89,07,23,353	59,38,15,569	1,48,45,38,922

568 (7)
21/03/2025

3- राज्याश मद् की उक्त राशि की निकासी अधोलिखित उपशीर्षो अन्तर्गत उपबधित राशि से विकलनीय होगा—

(क) राज्याश—

- (i) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-110-अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-0303-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपत्र कोड-20-2210031100303**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, **विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद मे उपबधित राशि कुल रु० 14,92,98,68,000 /— (रुपये चौदह अरब बानवे करोड़ अठानवे लाख अडसठ हजार) मात्र मे से रु० 80,00,00,000 /— (रुपये अस्सी करोड़) मात्र की राशि विकलनीय होगी।**
- (ii) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-110-अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-0303-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपत्र कोड-20-2210031100303**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, **विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद मे उपबधित राशि कुल रु० 14,92,98,68,000 /— (रुपये चौदह अरब बानवे करोड़ अठानवे लाख अडसठ हजार) मात्र मे से रु० 3,01,65,980 /— (रुपये तीन करोड़ एक लाख पैंसठ हजार नौ सौ अस्सी) मात्र की राशि विकलनीय होगी।**
- (iii) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-110-अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-0303-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपत्र कोड-20-2210031100303**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, **विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद मे उपबधित राशि कुल रु० 3,01,53,91,000 /— (रुपये तीन अरब एक करोड़ तिरपन लाख इक्यानवे हजार) मात्र मे से रु० 1,00,42,43,798 /— (रुपये एक अरब बियालीस लाख तेतालीस हजार सात सौ अठानवे) मात्र की राशि विकलनीय होगी।**
- (iv) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-0301-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपत्र कोड-20-2210017890301**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, **विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद मे उपबधित कुल राशि रु० 88,85,92,000 /— (रुपये अठासी करोड़ पचासी लाख बानवे हजार) मात्र में से रु० 9,63,55,434 /— (रुपये नौ करोड़ तिरसठ लाख पचपन हजार चार सौ चौतीस) मात्र की राशि विकलनीय होगी।**
- (v) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-0301-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपत्र कोड-20-2210017890301**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, **विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद मे उपबधित कुल राशि रु० 3,04,40,58,000 /— (रुपये तीन अरब चार करोड़ चालीस लाख अठावन हजार) मात्र मे से रु० 24,90,25,304 /— (रुपये चौबीस करोड़ नब्बे लाख पचीस हजार तीन सौ चार) मात्र की राशि विकलनीय होगी।**

4- इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा और नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति वित्त विभाग के पत्र सं०-870 दिनांक-25.01.2024 के दिशा निर्देशों के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राशि का व्यय करेंगे।

5- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राशि की निकासी वित्त विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में करते हुए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के SNA में निम्नवत् राशि हस्तान्तरित कराना सुलभ करायेगें-

केन्द्र प्रायोजित स्कीम का नाम	खाता का नाम	खाता संख्या	आई०एफ०एस० कोड	बैंक का नाम
National Health Mission	State Health Society Bihar	625901143308	ICIC0006259	ICICI Bank, Exhibition Road Branch, Patna

6- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विधिवत् महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

7- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या-7/बजट-46-12/2021 के पृष्ठ-.../टि० पर प्राप्त है।

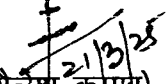
8- प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

9- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

10- राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11- एतदसंबंधी आवटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शैलेश कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

Nishant

ज्ञापांक-7/बजट-46-12/2021- 568. (7) /स्वा०, पटना, दिनांक- 21/03/2025

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमडलीय आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

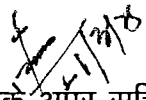
प्रतिलिपि- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर सचिव एवं मिशन निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन (एन०एच०एम०), निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अवर सचिव/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रूम नं०-331-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- उप निदेशक(ए०जे०एस०)/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, रूम नं०-523-सी.विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के अपर सचिव ।
Mubad